



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 1773 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, जनवरी, 02 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बगासू से बलाडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 4.00 कि०मी०) 1.835 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु लो०नि०वि०, बड़कोट को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव ऑनलाईन से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। विषयगत मोटर मार्ग प्रस्ताव पर आवश्यक सूचना ऑनलाईन आपलोड कर दी गई है। अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन से आपको प्रेषित किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में 0-10 व्याव वर्ग के चीड़-7 वृक्ष, सुरई-2 तथा तुन के 2 कुल 11 वृक्ष भी वाधित हो रहे हैं। अग्रेजी प्रपत्र भाग-2 में 0-10 व्यास वर्ग का कॉलम न होने के कारण उक्त वृक्षों का उल्लेख अग्रेजी प्रपत्र भाग-2 में टिप्पणी के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रकार 76 वृक्षों की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक है।

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir	21	17	9	1	1
2	Misc. Species	Suri	3	5	1	0	0
3	Toona ciliata	Toon	3	3	0	0	0
4	Bauhinia Parviflora	Kachnar	1	0	0	0	0

Note- There are 11 trees of 0-30 cm. girth affected in civil soyam land.

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21-1-2016 को इस मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित मोटर मार्ग स्थल पर अन्य कोई और विकल्प न होने के कारण इस स्थल पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। जनहित में प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है, जिसकी संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(डी०के० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

भाग-II

संरक्षित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बगासू से बलाडी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि०मी०) हेतु 1.835 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु लो०नि०वि०, बडकोट को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
ज़िला	उत्तरकाशी
वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है० में	1.835 है०
वन की कानूनी स्थिति	1.71 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि 0.125 है० मकडिस्पोजल हेतु सिविल भूमि 1.835 है०
हरियाली का घनत्व	0.3
प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-2मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 76 वृक्ष वाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी 1.00 कि०मी० के अन्तर्गत है।
क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	नहीं।
क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.188 लाख का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.188 लाख का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। साथ ही रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण हेतु 7.886 लाख का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार।
रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेंसी स्वयं वन विभाग समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.188 लाख एवं रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 7.886 लाख रु० का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.188 लाख एवं रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 7.886 लाख रु० का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण निपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है०
जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है०
मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 91 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 135.1275 है०
1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि-	क- 270.255 है०
(ख) वनेतर भूमि पर-	ख- -
अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वन भूमि पर	क- 34.27 है०
(ख) वनेत्तर भूमि पर	ख - 190.35 है०
प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 18-10-2015 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

क 26-11-2015

बडकोट

(डी०के० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।